न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– करतार सिंह पूनीयाँ आर.ए.एस

अपील सं0 2021/00039 (39/2021)

हनुमान पुत्र स्व0 रतीराम आयु 85 वर्ष जाति बिश्नोई, निवासी चक 10 केएसडी मालारामपुरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। –अपीलान्ट

बनाम

1. भूप सिंह पुत्र स्व0 श्री रतीराम आयु 65 वर्ष जाति बिश्नोई, निवासी चक 10 केएसडी मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, जिला हनुमानगढ। (राज0)

–रेस्पोडेण्ट

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधीनियम विरूद्व निर्णय दिनांक 01.03.2021 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया प्र0 संख्या 52/2010 बअनवानी भूप सिंह बनाम हनुमान

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मनोज बेनीवाल अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1

निर्णय दिनांक – 06.09.2021

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है [illegible] अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] 51 [illegible] के तहत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया कि जिसमें कथन कि[illegible] भूमि [illegible] 10 के[illegible] के खाता संख्या 52/53 में 1.771 है0 भूमि राजस्व रि[illegible] में दर्ज है तथा इ[illegible] के खाता

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

संख्या 91/77 में 0.506 है0 भूमि व प्रार्थी के पुत्रों पवन कुमार व प्रवीण कुमार के से 1.973 है0 ब.हिब. दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी की ढाणी प. नं. 134/114 मु. नं. 56 के किला नं. 9 में बनी हुई है। इस भूमि में आवागन हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है। प्रार्थी ने 10 के.एस.डी क प. नं. 134/114 मु. नं. 53 के किला नं. 12, 19, 22 में स्थित रास्ता से आवागमन करता है। जिसमें किला नं. 12 प्रार्थी का है एवं 19, 22 अप्रार्थी का है। अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने उपरौक्त भूमि में प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा।

2. अपीलाण्ट/अप्रार्थी ने जवाब पेश किया कि प्रार्थी द्वारा उसकी बनी ढाणी के लिए रास्ते की मांग करना विधि द्वारा पोषणीय नही है। यह सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। प्रार्थी किला नं. 19, 22 में से कोई आवागमन नहीं करता है। यह रास्ता सार्वजनिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को यदि रास्ता चाहिए तो अपने पुत्र की कृषि भूमि मु0 नं0 55 के किला नं. 16 व 24 में रास्ता देने के लिए तैयार है या फिर मुरब्बा नं. 57 के किला नं. 19, 22 में पूर्व की और रास्ता ले सकता है।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट देखकर प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया तथा चक 10 के.एस.डी. के प. नं. 134/114 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 19 व 22 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की और 2–2 बिश्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने भू– अभिलेख निरीक्षण की जांच रिपोर्ट व अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब देही को नजरअंदाज कर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तावति वैकल्पिक रास्ता के तथ्य को सिरे से इन्कार करते हुए कतई गलत व अनुचित निर्णय पारित किया है। प्रस्तावित रास्ता को मात्र. इस आधार पर कि बीच में नहरी खाला आने से अवरोध पैदा होने के कारण यह वैकल्पिक रास्ता स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। केवल ढाणी बनी होने के आधार पर रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेण्ट अपनी पुत्रों की चिपती भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रास्ता प्राप्त कर सकता है। प्रश्नगत रास्ता से अपीलाण्ट की भूमि दो टुकड़ों में बंट जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय कतई गलत एवं विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 को रास्ते की आत्यंतिक आवश्कय है। अन्य कोई रास्ता नही है ता अपीलाण्ट द्वारा अन्य कोई विकल्प उचित प्रकार से नहीं बताया है। अपीलाण्ट द्वारा सुझाये गये रासे निकटतम भी नहीं है तथा अन्य काश्तकारों की संयुक्त जोत भी है जिससे रास्ता स्वीकार करने में अनावश्यक समय लगेगा व रास्ता भी निकटतम नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं मौका निरीक्षण कर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2018 डीएनजे (रेव) पेज 36, 2019 (1) डीएनजे पेज 113 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

7. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 251–ए– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर चक 10 के.एस.डी. के प. नं. 134/114 के मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 19 व 22 में पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण की और 2–2 बिश्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये हैं। अपीलाण्ट का कथन है प्रश्नगत रास्ता स्वीकृति से उसकी भूमि के दो टुकड़े हो जायेंगे रेस्पोडेण्ट को आवागमन हेतु अन्य रास्ता भी उपलब्ध है उसे अपने पुत्रों की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहिए। पत्रावली में भू अभिलेख निरीक्षण की जांच रिपोर्ट दिनांक 19.09.2020 संलग्न है जिसे तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.10.2020 को उपखण्ड अधिकारी संगरिया को अग्रेषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.02.2021 को स्वयं मौका निरीक्षण किया गया है और यह माना है कि आवेदित रास्ता ही सबसे निकटतम, वर्तमान में चालू व सुलभ रास्ता पाया गया है। प.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:14 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

नं. 134/114 (56) किला नं. 18 में रेस्पोडेण्ट भूप सिंह की ढाणी बनी हुई है तथा इसी मुरब्बा के किला नं. 22 में अपीलाण्ट की ढाणी बनी हुई है जिसमें आवागमन हेतु रास्ता है। इसलिये अपीलाण्ट का यह तथ्य स्वीकार्य नही है कि प्रश्नगत भूमि के उसके दो टुकड़े हो जायेंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं मौका देखकर प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया है। अन्य कोई निकटतम व चालू रास्ता नही होने के कारण प्रश्गनत रास्ता स्वीकृत किया है जो समुचित है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय यथावत रखे जाने योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया का अपीलाधील निर्णय दिनांक 01.03.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

10. निर्णय आज दिनांक 06.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/9/21

(करतारसिंह पूनीया)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:11:14 IST
Reason: SelfAttested